प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.11.2026

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.11.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर पंजीकृत मु0अ0स0 267/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त रिषभ चौधरी पुत्र अनिल चौधरी निवासी गुलमोहर ग्रीन सोसायटी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने व मेरे साथियों ने मिलकर गैंग बना रखा है, गैंग का लीडर प्रिन्स उर्फ यश है। हमारे गैंग के द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभों की पूर्ति हेतु अवैध रुप से सम्पत्ति अर्जित करने के उद्देश्य से लूट, स्नैचिंग आदि घटनाएं कारित की हैं जिसमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिषभ चौधरी पुत्र अनिल चौधरी निवासी गुलमोहर ग्रीन सोसायटी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर गैंगस्टर का 01 अभियोग व लूट के 04 अभियोग तथा 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 01 वोल्टास कम्पनी की AC का आउटडोर व घटना में प्रयुक्त 01 बलेनों कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.11.2026 को वादी श्री नागेन्द्र तिवारी पुत्र श्री रविराम तिवारी निवासी सैक्टर 01, मधुसूदन MRSD थाना वेव सिटी गाजियाबाद का प्राप्त प्रार्थना पत्र कि अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वेवसिटी सेक्टर 01 स्थित निर्माणाधीन साईट के बाहर रखे कंटेनर मे आफिस के बाहर लगे ए0सी0 के आउटडोर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर अभियोग अंतर्गत धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज, थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मेनुअल ईनपुट के आधार पर 02 अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र आसिफ नि0 गाँव रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. शमशाद पुत्र वाहिद नि0 गाँव रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को चोरी के 01 वोल्टास कम्पनी के AC का आउटडोर व घटना में प्रयुक्त एक बलेनों कार के साथ गेलेरिया माल के पीछे नाले के बराबर मे कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि यह एसी का आऊटडोर हम दोनो ने अपने साथी शोएब जोकि रसूलपुर सिकरोडा का रहने वाला है तथा अल्ताफ कबाडी जोकि डासना का रहने वाला है के साथ मिलकर दिवाली की रात को मधुसूधन कि निर्माणाधीन साईड पर जो आफिस बने हुए है उनके कन्टेनर के बाहर लगे AC के 04 आउटडोर चोरी किये थे। जिसमे से तीन आउटडोर अल्ताफ कबाडी ने अपने पास रख लिये थे। जिसके हम तीनो को उसने रूपये दे दिये थे जो हमने आपस मे बराबर बराबर बाट लिये थे। जिसमे से कुछ रूपये हमने नशे पत्ते मे खर्च कर दिये थे शेष बचे रूपये हमारे पास से मिले है और यह एक आउटडोर हमने अपनी गाडी मे ही रख लिया था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। आज हम फिर से रात मे आउटडोर चोरी करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तथा बरामद कार रजि0 नं0 DL8CBA0346 के बारे में चालक शहजाद ने बताया कि यह गाडी मिशलगढी गाजियाबाद में रहने वाले सादिक की है जिसको हम शादी मे जाने के नाम पर किराये पर लाये है उस दिन भी हम इसी गाडी को किराये पर लेकर आये थे। घटना के समय कार को अल्ताफ कबाडी वाला चला रहा था तथा हम दोनो व शोएब AC का आउटडोर खोलकर लाये थे और इसी गाडी में रखकर ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- शहजाद पुत्र आसिफ नि0 गाँव रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
- शमशाद पुत्र वाहिद नि0 गाँव रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद व शमशाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण सहित चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 वोल्टास कम्पनी के AC का आउटडोर व घटना में प्रयुक्त एक बलेनों कार रजि0 नं0 DL8CBA0346 बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम